

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (आर.ई.वृत)

क्र. जेपीडी/मु.अ.(सीपीएल)/अधी.अभि.(आर.ई.)/प.1201/प्रे. 455 दि. 1.4.2013

आदेश

विषय-निरस्त कृषि कनेक्शन पत्रावलियों को पुनर्जीवित करने के सम्बन्ध में।

समन्वय समिति की दिनांक 15.03.2013 को आयोजित 164वीं बैठक में लिये गये निर्णय (बिन्दु संख्या 164.12) की अनुपालना में जिन कृषि कनेक्शन पत्रावलियों के मांग पत्र दिनांक 01.04.2011 एवं इसके बाद जारी किये गये एवं किसी कारणवश मांग पत्र राशि जमा नहीं करवा सके तथा पत्रावलियां निरस्त हो गयीं उन आवेदकों को मांग पत्र जमा कराने हेतु एक अवसर और दिये जाने की सहमति निम्न प्रावधानों के साथ दी जाती है -

1. आवेदक जिनकी कृषि कनेक्शन पत्रावलियां मांग पत्र की राशि जमा न करवाने के कारण निरस्त हो गयी है, उन्हें निगम द्वारा पुनर्जीवित करने के लिये रु. 500/- जमा करवाने हेतु दिनांक 01.04.2013 से 15.04.2013 तक रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा।
2. मांग पत्र की राशि 16.04.2013 से 15.05.2013 तक जमा करानी होगी अन्यथा पत्रावली अन्य किसी सूचना के रद्द मानी जावेगी।
3. इन पुनर्जीवित कृषि कनेक्शन पत्रावलियों की प्राथमिकता मांग पत्र की राशि जमा होने की तिथि से निर्धारित की जावेगी।

(पी.सी. शर्मा)

मुख्य अभियन्ता (सीपीएल)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आदर्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. उर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जोधपुर।
3. निदेशक (तकनीकी/वित्त) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (ओएण्डएम) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
5. प्रावेधिक सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता (पवस/जे.सी.सी./जेपीडीसी/प्लान/विधि/आई.टी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
7. अधीक्षण अभियन्ता (प्लान/पीपीएण्डएम) अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम अजमेर/जोधपुर।
8. प्रावेधिक सहायक, राज्य मंत्री, उर्जा विभाग, विद्युत भवन, जयपुर।
9. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. (राम बाग सर्किल) जयपुर।
10. मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी () जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
11. सलाहकार आयुक्त (विद्युत) मिनी सचिवालय जयपुर।
12. अधिशाषी अभियन्ता (पवस/ /शिवीन्सेज/एमआईएस) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
13. विशिष्ट सहायक, सलाहकार (एम), मुख्यमंत्री सचिवालय, राज. सरकार, जयपुर।
14. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
15. निजी सचिव, मा. उर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को मा. उर्जा मंत्री के सूचनार्थ।
16. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राज. राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. जयपुर को मा. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के सूचनार्थ।
17. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर को माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के सूचनार्थ।
18. कम्पनी सचिव, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. /राज. राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. जयपुर।
19. इन्चार्ज, कन्ट्रोल रूम मुख्य अभियन्ता (जयपुर जोन) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।

मुख्य अभियन्ता (सीपीएल)
जेपीडी, जयपुर